कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला नर्मदापुरम/हरदा (म.प्र)
प्लाट न0 1/39 गिन्नी कम्पाउण्ड मीनाक्षी चौक नर्मदापुरम फोन न0 07574-254120
E-mail :- hoshangabad@mptownplan.gov.in

क्रमांक/ 804 /नग्रानि/लेखा/2023 नर्मदापुरम, दिनांक 22/12/2023

विज्ञप्ति

कार्यालय उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नर्मदापुरम् पता - प्लाट नंबर 1/39 गिन्नी कम्पाउण्ड मीनाक्षी चौंक नर्मदापरम् के कार्यालय की परिवहन व्यवस्था के लिए वाहन किराये पर लेने हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा दिनांक 2/1/2024 अपरान्ह 01:00 बजे तक अघोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा जमा की जावेगी, तथा दिनांक 3/1/2024 को निविदाकर्ता एवं विभागीय क्रय समिति के समक्ष अपरान्ह 01:00 बजे निविदा खोली जावेंगी। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं होगी।

निविदा प्रपत्र अघोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में रूपये 200.00 (शब्दों में दो सौ रूपये मात्र) ई-चालान साईबर ट्रेजरी शीर्ष क्रमांक 0217-60-800-0171 अन्य प्राप्तियों में जमा कर प्राप्त की जा सकती है एवं वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तें, इस कार्यालय में कार्यालय समय में अवलोकन की जा सकती है एवं संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की बेवसाईट - **mptownplan.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

उपसंचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय - नर्मदापुरम् (म.प्र.)

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय नर्मदापुरम (म.प्र)

वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तें :-

1. वाहन किराये पर देने हेतु अनुबंध के साथ रूपये 5000/- की प्रतिभूति एफ.डी./ किसान विकास पत्र / इंदिरा विकास पत्र के रूप में कार्यालय में जमा करनी होगी। अनुबंध पूर्ण होने पर यह वापिस लौटा दिया जायेगा। लेकिन शर्तों का उल्लंघन होने पर यह राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. निविदा हेतु मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 1000 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जायें।
3. यह अनुबंध ग्यारह माह के लिए मान्य होगा एवं उसे अधिकतम दो वर्ष तक कार्यालय प्रमुख द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।
4. परिवहन नियमों का उल्लघन कर वाहनों के संचालन या किसी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी वैधानिक स्थितियों में किसी भी प्रकार का जुर्माना की राशि भरने या अन्य कोई कार्यवाही होने के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।
5. वाहन मध्यप्रदेश राज्य में आर.टी.ओ कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होनी चाहिए। वाहनों के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।
6. अनुबंध अवधि के दौरान यदि पेट्रोल/डीजल के दामों में वृद्धि होती है, तो निविदा में दी गयी राशि एवं अवधि के दौरान अतिरिक्त कोई राशि देय नही होगी।
7. वाहन पूरे माह के लिए हर दिन बिना किसी अवकाश के सामान्यत प्रातः 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक कुल 10 घंटे तक के लिए देना होगा रात को वाहन सेवा अवधि में वाहन कार्यालय में रहेगा तथा वाहन खराब होने अथवा मरम्मत के लिए ले जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उसी मॉडल का दूसरा वाहन उपलब्ध कराये जाने पर ही वाहन को छोड़ा जायेगा। वाहन मरम्मत का सम्पूर्ण व्यय वाहन प्रदायकर्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस पर कार्यालय कोई अतिरिक्त राशि नहीं देगा।
8. वाहनों के किलोमीटर की गणना संबंधित उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र अथवा विधिवत रूप से भरी गई लॉगबुक में हस्ताक्षर उपरांत ही मान्य होगा।
9. सभी वाहनों की कॉम्प्रीहेन्सिव बीमा , प्रदूषण मानक प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकट , कमर्शियल उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेस / प्रमाणपत्र रोड टैक्स सर्विस टैक्स अदा कर उस अद्यतन रखने की जिम्मेदारी एजेंसी / ट्रेवल्स / वाहन स्वामी की होगी।
10. वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा तथा उसकी एक छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन जब्त होने की दशा में वाहन मालिक को सूचना देकर मासिक किराये का भुगतान कर दिया जायेगा।
11. यदि किसी विशेष कारणों से वाहन अथवा चालक किसी दिन उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे हर दिवस की अनुपलब्धता के लिये देय राशि में से दोगुना प्रतिदिन की राशि निकाल कर उसकी कटोती कर दी जायेगी। लेकिन बार बार पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबंध को निरस्त कर दिया जायगा।
12. वाहन में हमेशा टूल्स एवं स्टेपनी होना आवश्यक है। वाहन हमेशा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए एवं वाहन के चारों टायर ट्यूब अच्छी क्वालिटी व सुरक्षा के मानक के अनुसार होना अनिवार्य है।
13. वाहन किराये पर लेने हेतु तय नियमों एवं शर्तों में संशोधन का अधिकार कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नर्मदापुरम का होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र नर्मदापुरम माना जायेगा।
15. निविदा के साथ उपरोक्त वर्णित नियम एवं शर्तें वाहन प्रदाय करने की दिनांक से लागू होगें।
16. निविदा कि साथ रूपये 2000/- (शब्दों में रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट या नगद कार्यालय में जमा करना होगा जो निविदा खुलने पर लौटाई जायेगी।
17. कार्य क्षेत्र संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल द्वारा निर्देशित रहेगा, जिसके लिये वाहन किराये पर लिया जा रहा है।
18. प्रत्येक माह के देयक में देयक राशि के साथ जी.एस.टी. राशि अतिरिक्त देय होगी।

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय नर्मदापुरम(म.प्र)